नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रतिवादी सं. 6 व 7 की पर्याप्त तामिल शामिल मिसल है। बावजूद सूचना के प्रतिवादी सं. 6 व 7 के उपस्थित नहीं है। अतः प्रतिवादी सं. 6 व 7 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25.4.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 11.4.18	
	25.4.18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर मोहनपुरा मे दिनांक 22.05.18 को पेश हो।	
	22/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मोहनपुरा में पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण स्वंय उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा ने की है। वादी व प्रतिवादी ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश एवं प्रतिवादी स. 2 व 3 ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में हमारे दादाजी श्री जोधाराम के तीन पुत्र थे। दादाजी का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा था। दादाजी के फौत होने पर उनके 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण उक्तवाद ग्रस्त भूमि हमारे पिताजी भौरीलाल के नाम चढ गयी जो सहवन से चढ गयी थी। पिताजी भौरीलाल के नाम गलत इन्द्राज भूमि को वादीगण (महादेव व रामनिवास के वारिस) के नाम इन्द्राज करायी जाती है तो हमे कोई आपत्ति नही है तथा प्रतिवादी स. 1 रामदेव के गोद चले जाने पर उसके हिस्से की जमीन भी वादीगण के नाम रिकार्ड	गोपाल लाल शर्मा, रामस्वरूप (हस्ताक्षर)

मोहन (हस्ताक्षर)
सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		में इन्द्राज करायी जाती है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रतिवादी स. 1 राजेन्द्र के गोद चले जाने पर उसके हिस्से की जमीन भी वादीगण के नाम रिकार्ड मे इन्द्राज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। राजीनामा की इबारत वादी व प्रतिवादी को सुनायी गयी जिसे पढ सुन समझकर सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन व वादी व प्रतिवादी को वादपत्र पर सुनने व उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी लेने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने व लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख.न. 210 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा ग्राम श्यामपुरा प.ह. मोहनपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में वादी का वाद राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी ख. न. 210 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा स्थित ग्राम श्यामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर में से 1/6 हिस्से का खातेदार वादी स. 1 व 2 को तथा 1/6 हिस्से का खातेदार वादी स. 3 लगा. 8 को तथा 1/6 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी स. 1 लगा. 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का अतानुसार रिकार्ड में दुरुस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री का राजीनामा जुज रहेगा। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। आज दिनांक 22.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोरधनपुरा में मजमे आम में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 22.5.18 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर	

डिग्री मुकदमा इस्तगासा

(ओ.20 रूल्स व ? जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.

दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर व कार्यपालक मजिस्ट्रेट

वादी — प्रतिवादी

(1) राधेश्याम (2) गोपाल — पुत्रान महादेव
(3) रामस्वरूप (4) सीताराम (5) शंकर — पुत्रान रामनिवास
(6) राजेन्द्र (7) गिर्राज (8) [illegible]दाली — पुत्रान कजोड

बनाम

(1) जगदीश (2) रामजीलाल (3) मोहन — पुत्रान स्व. श्री मोरीलाल
(4) हरिनारायण पुत्र स्व. श्री कल्याण
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम डूंगली तहसील बस्सी जिला जयपुर

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 70/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू A.C.M. बस्सी व हाजरी वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 210 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा ग्राम श्यामपुरा प.ह. मोहनपुरा तह-बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में वादी का वाद राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी ख.नं. 210 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम श्यामपुरा तह-बस्सी जिला जयपुर में से 1/6 हिस्से का खातेदार वादी स. 1 व 2 को तथा 1/6 हिस्से का खातेदार वादी स. 1 लगा. 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का उक्तानुसार रिकार्ड मे दुरुस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निजि .... मुतलिक .... बाबत ....

खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज़ की तारीख वसूलियाब तक .... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... सन् .... को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत [signature] 22.5.18

ओहदा .... सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

वादीगण	प्रतिवादीगण
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम दुधली तह. बस्सी जिला जयपुर।	(5) जगदीश (6) कानी पुत्री स्व. श्री कल्याण (7) छोटा पुत्री स्व. कल्याण ~~(8)~~ समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम दुधली तह. बस्सी जिला जयपुर (8) उप पंजीयक बस्सी (9) तहसीलदार बस्सी

सहायक ...टर एवं
कार्यपालक ...जिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर